BASIC RIGHTS

By : Karan Sir

- **अनुच्छेद-14 (Article-14) :** अनुच्छेद-14 में कहा गया है कि भारत राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता (Equality before law) से अथवा विधियों के समान संरक्षण (Equal protection of laws) से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।
- **विधि के समक्ष समता (Equality Before law) :** 'विधि के समक्ष समता' का विचार ब्रिटेन के विख्यात विधिवेत्ता प्रोफेसर डायसी (Prof. Dicey) के 'विधि के सासन' (Rule of law) की संकल्पना के अंतर्गत दूसरे लक्षण के रूप में शामिल है।
- **विधि की सर्वोच्चता (Supremacy of law) :** अर्थात् विधि से ऊपर कोई नहीं है और किसी को भी दंड सिर्फ विधि के उल्लंघन के लिये दिया जा सकता है।
- **विधि के समक्ष समता (Equality before law) :** अर्थात् कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष असमान नहीं है। सभी व्यक्ति समान कानूनों और सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आते हैं। इसका एकमात्र अपवाद सम्राट है (इंग्लैंड के संदर्भ में)। शेष सभी व्यक्ति, चाहे वे सामान्य नागरिक हों या अधिकारी, एक ही विधि को माने को बाध्य हैं।
- **संविधान सामान्य विधि का परिणाम है** अर्थात् विभिन्न व्यक्तियों को मिलने वाले अधिकार संविधान पर नहीं, बल्कि न्यायालय द्वारा विधियों की व्याख्या पर निर्भर हैं। न्यायालयों के निर्णयों से ही संविधान का निर्माण होता चलता है।

  जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत में 'विधि के शासन' की पहली दो विशेषताएँ पूर्णत: लागू होती हैं। यहाँ दूसरी विशेषता तो इंग्लैंड से ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि भारत में विधियों से परे कोई 'सम्राट' नहीं है। भारत का राज्याध्यक्ष भी विधियों के अधीन है। तीसरी विशेषता भारत में लागू नहीं होती, क्योंकि भारत में व्यक्तियों के अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, न कि न्यायालयों द्वारा। यहाँ न्यायालय संविधान के अनुसार कार्य करते हैं, संविधान न्यायालयों के निर्णयों को परिणामा नहीं है।
- **विधियों कका समान संरक्षण (Equal Protection of Laws) :** 'विधियों का समान संरक्षण' एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है क्योंकि इसमें 'संरक्षण' शब्द के माध्यम से बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की कानून तक पहुँचे बराबर होनी चाहिये। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों पर लागे होने वाले ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहियें जो पूर्णत: समान हों। यदि दो व्यक्तियों की परिस्थितयों में काफी बड़ा अंतराल हो तो उसके लये समान कानून बनाना वस्तुत: असमानता को पैदा करना है। किंतु, यदि समान परिस्थतियों वाले व्यक्यिों के लिये असमान कानून बनाए जाते हैं। तो यह भी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।
- **अनुच्छेद-15(1) (Article-15(1) :** अनुच्छेद-15(1) में राज्य को आदेश दिया गया है कि वह केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद-15(2) (Article-15(2) :** अनुच्छेद-15(2) में राज्य के साथ-साा प्राइवेट व्यक्तियों को भी आदेश दिया गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर–
  (क) दुकानों, सार्वजनक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या
  (ख) पूर्णत: या अंशत: राज्यनिधि से पोषित अथवा साधारण जनता के प्रयोग के लिये समर्पित कुओं, तालाबों और सार्वजनक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता के अधीन नहीं होगा।
- **अनुच्छेद-15(3) (Article-15(3) :** यह अनुच्छेद अनुच्छेद-15(1) तथा 15(2) में दिये गए सामान्य नियमों का अपवाद है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद-15 में कही गई कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।
- **अनुच्छेद-15(4) (Article-15(4) :** अनुच्छेद-15(1) और 15(2) का दूसरा अपवाद है। इसे 'प्रथम संविधान अधिनियम, 1951' के माध्यम से जोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइराजन' मामले (1951) में दिये गए निर्णय ने केंद्र सरकार को ऐसा करने के लिये प्रेरित किया था।
- **अनुच्छेद-15(5) (Article-15(5) :** अनुच्छेद-15(5) संविधान के '93वें संशोधन अधिनियम, 2005' के माध्यम से अंत:स्थापित किया गया है। इसे प्रभावी बनाने के लिये संसद ने 2006 में एक अधिनियम पारित किया जिसे 'केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006' के नाम से जाना जाता है।
- **अनुच्छेद-15(6) (Article-15(6) :** अनुच्छेद-15(6) संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंत:स्थापित किया गया है। अनुच्छेद-15(6) कहता है कि अनुच्छेद-15(4) तथा 15(5) में वर्णित वर्णों के अतिरिक्त 'आर्थिक रूप में पिछड़े नागरकों' के लिये विशेष उपबंध किये जा सकेंगे।

- **अनुच्छेद-16 (Article-16) :** अनुच्छेद-16 संविधान के सर्वाधिक चर्चित तथा विवादित अनुच्छेदों में से एक है। यह अनुच्छेद-15 में दिये गए अधिकार को ही एक विशिष्ट क्षेत्र अर्थात् लोक नियोजन (Public employment) में लागू करता है। अनुच्छेद-16 के 6 खंड हैं जिनमें से पहले दो अर्थात् 16(1) और 16(2) में लोकनियोजन के विषय में अवसर की समानता (Equality of opportunity) की गारंटी दी गई है जबकि 16(3), 16(4), 16(5) व 16(6) में इस साधारण नयम के अपवाद दिये गए हैं। संसद ने 77वें तथा 81वें संशोधनों के माध्यम से अनुच्छेद-16(4) में 4(क) तथा 4(ख) उपखंडों को तथा 103वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद-16(6) को अंत:स्थापत भी किया है।
- **अनुच्छेद-16(1) तथा 16(2) (Article-16(1) and 16(2) :** अनुच्छेद-16(1) तथा 16(2) में लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता की गारंटी इन शब्दों में दी गई है–
- **अनुच्छेद-16(1):** राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन (Employment) या नियुक्ति (Appointment) से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।
- **अनुच्छेद-16(2):** कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म-स्थन, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जाएगा।
- **अनुच्छेद-16(3) (Article-16(3) :** अनुच्छेद-16(3) अनुच्छेद-16(2) का एक अपवाद है। अनुच्छेद-16(2) जिन 7 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, उनमें 'निवास-स्थान' (Place of residence) भी शामिल है। किंतु अनुच्छेद-16(3) यह प्रावधान करता है कि संसद विधि बनाकर नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में निवास संबंधी शर्त लागू कर सकती है। ध्यातव्य है कि इसके दुरुपयोग से बचने के लिये यह शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं।
- **अनुच्छेद-16(4) (Article-16(4) :** अनुच्छेद-16(4) और 16(2) का दूसरा अपवाद है। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है क वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये उपबंध कर सकेगा।

  यहाँ 'राज्य की राय' का अर्थ ठोस व तथ्यात्मक आधार से है।

  उपरोक्त कथन को ध्या से पढ़ें तो स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद-16(4) लागू होने के लिये दो अनिवार्य शर्ते हैं–
  1. वर्ग पिछड़ा हुआ होना चाहिये।
  2. राज्य की राय में उस वर्ग के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो।
- **अनुच्छेद-16(5) (Article-16(5) :** अनुच्छेद-16(5) अनुच्छेद-16(1) और (2) का तीसरा अपवाद है। अनुच्छेद-16(2) में जिस सात आधारों पर भेदभाव वर्णित किया गया है, उनमें से एक 'धर्म' (Religion) है। अनुच्छेद-16(5) यह प्रावधान करता है कि राज्य किन्हीं धार्मिक या सांद्रदायिक संस्थाओं (Religious Institutions) के प्रबंधन के लिये उस धर्म या संप्रदाय के अनुयायियों की ही नियुक्ति का उपबंध कर सकता है और शेष धर्मों तथा संप्रदायों के अभ्यर्थियों को ऐसे नियोजन में अवसर की समानता से वंचित कर सकता है।
- **अनुच्छेद-16(6) (Article-16(6) :** अनुच्छेद-16(6) संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंत:स्थापित किया गया है। अनुच्छेद-16(6) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुच्छेद-16(4) में वर्णित वर्ग के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े समुदास के लिये भी राज्य की नियुक्तियों एवं पदों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। इसे पूर्ण निर्धारित आरक्षण सीमा में अधिकतम 10% की वृद्धि के साथ लागू किया जा सकेगा।

आर्थिक आधार पर आरक्षण

- 124वें संविधान संशोधन विधेयक (103वाँ संशोधन अधिनियम) के माध्यम से दो नए अनुच्छेद-15(6) तथा 16(6) जोड़े गए हैं। यह संविधान संशोधन सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिये आर्थिक आधार पर भी आरक्षण के प्रावधान को सुनिश्चित करता है।
- यह संशोधन आर्थिक पिछड़ेपन को इस प्रकार परिभाषित करता है– ''राज्य समय-समय पर पारिवारिक आय तथा अन्य आर्थिक वंचनाओं के संकेतकों का उपयोग कर 'आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय' का निर्धारण कर सकेगा।'' इस प्रकार राज्य ने निम्नांकित आधारों को आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को आरक्षण के लिये अनिवार्य बनाया है–
- पारिवारिक आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो। ध्यातव्य है कि वर्तमान में ओ.बी.सी. क्रिमीलेयर की सीमा भी 8 लाख रुपए ही है।
- 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो।
- रिहायशी आवास का आकार 1000 स्क्वायर फीट से कम हो।
- नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्र में रिहायशी प्लॉट 100 यार्ड से कम हो।
- गैर-नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्र में रिहायशी प्लॉट 200 यार्ड से कम हो।
- 'इंद्रा साहनी मामले' (1992) से सबसे प्रभावी ढंग से 50% की सीमा की बात रखी गई। 103वें संशोधन के पूर्व प्रदान किया जाने वाला आरक्षण (49.5%) कुल निर्धारित सीमा (50%) के अनुकूल था। 10% अधिक आरक्षण प्रदान करना सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों के विरुद्ध है।
- **अनुच्छेद-17 (Article-17) :** अनुच्छेद-17 समता के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र में लागू करता है। इसके माध्यम से हिंदू समाज में बहुत समय से चली आ रही अस्पृश्यता

(Untouchability) की कुरीति के अंत की घोषणा की गई है। अनुच्छेद-17 में की गई घोषणा इस प्रकार है–

अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता (Disability) को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद-17 के साथ पढ़े जाने पर अनुच्छेद-35 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड निर्धारित करने के लिये विधि का निर्माण करे। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में 'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955' [The Untouchability (offences) Act, 1995] का निर्माण किया। 1976 में इस अधिनियम का संशोधन किया गया तथा इसका नाम 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' (Civil Rights Protection Act, 1955) कर दिया गया। आगे चलकर, 1989 में संसद ने 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम, 1989' [Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989] भी पारित किया जो 1955 और 1976 के कानूनों की तुलना में ज्यादा व्यापक और कठोर है। प्रचलित भाषा में इसे 'एट्रोसिटीज एक्ट' (Atrocities Act) के नाम से जाना जाता है।

- **अनुच्छेद-18 (Article-18) :** अनुच्छेद-18 उपाधियों के अंत (Abolition of titles) की घोषणा करता है। उपाधि (Title) एक ऐसी संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ी होती है और उसे जनसाधारण की तुलना में विशिष्ट सिद्ध करती है।

  अनुच्छेद-18 के अंतर्गत चार खंड हैं जिनमें निम्नलिखित उपबंध दिये गए हैं–
- **अनुच्छेद-18(1) :** राज्य सेना या विधा संबंधी सम्मान (Military or academic distinction) के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद-18(2) :** भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद-18(3) :** कोई विदेशी जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर काम कर रहा है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद-18(4) :** कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, यदि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी विदेश राज्य से या उसके अधीन कोई भेंट (Present), उपलब्धि (Emolument) या पद (Office) स्वीकार नहीं करेगा।
- **स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद-19-22 (Right to Freedom : Article-19-22) :** संविधान के अनुच्छेद-19-22 के समूह को 'स्वातंत्र्य-अधिकार' (Right to freedom) शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है।
- **अनुच्छेद-19 : अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएँ (Article-19 : Expression and Other Freedoms) :** अनुच्देद-19 भारतीय संविधान के सबसे महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। इसमें नागरिकों को प्रदान की गई छह स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। संविधान के निर्माण के समय इसमें सात स्वतंत्रताएँ शामिल की गई थीं। किंतु '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा अनुच्छेद-19(1) (च) में वर्णित 'संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन के अधिकार' (Right to acquire, hold and dispose of property) को हटा दिया गया था।

अनुच्छेद-खंड	अधिकार का नाम
अनुच्छेद-19(1)(क)	भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-19(1)(ख)	शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन का अधिकार
अनुच्छेद-19(1)(ग)	संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की अधिकार
अनुच्छेद-19(1)(घ)	भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार
अनुच्छेद-19(1)(ङ)	भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार
अनुच्छेद-19(1)(छ)	कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार का कारोबार करने का अधिकार

- **अनुच्छेद-19(1)(क) : भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [Article-19(1)(a) : Freedom of Speech and Expression] :** भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का प्राणतत्त्व है। इसका अर्थ है– बोलकर, लिखकर, छपवाकर या किसी भी अन्य प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति करने के जितने भी माध्यम हैं, वे सब शामिल हो जाते हैं। गौरतलब है कि भारत में प्रेस या मीडिया को अलग से कुछ अधिकार नहीं दिये गए हैं। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक अंग है।

  सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के समक्ष जिन अनुच्छेदों से संबंधित सबसे अधिक मामले आए हैं, उनमें से एक अनुच्छेद-19(1)(क) भी है। न्यायालय की विभिनन व्याख्याओं के माध्यम से इस अधिकार का अर्थ ज्यादा स्पष्ट होता गया है। ऐसे प्रमुख मामले तथा उनमें न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याएँ इस प्रकार हैं–
- अनुच्छेद-19(1)(क) में प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार में अभिव्यक्ति न करने अर्थात् चुप रहने का अधिकार भी शामिल है।
- राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर या कार्यालय परिसर में फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। किंतु यह आत्यंतिक अधिकार नहीं है, अत: इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है।
- 'हड़ताल' को न्यायालय द्वारा संवैधानिक तथा 'बंद' को असंवैधानिक माना गया है। इसके पीछे न्यायालय का मत था कि 'हडताल' से अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों को क्षति

नहीं पहुँचती जबकि 'बंद' से अन्य नागरिकों के अधिकार खतरे में पड़े में पड़ जाते हैं।

- चलचित्रों पर पूर्ण-अवरोध (Pre-censorship) को औचित्यपूर्ण माना गया है क्योंकि अभिव्यक्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा चलचित्रों का असर समाज पर तुरंत पड़ता है।
- 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' में 'विज्ञापन की स्वतंत्रता' भी निहित है, पर आपत्तिजनक तथा हानिकारक वस्तुओं (जो समाज के लिये हानिकारक होने के कारण निषिद्ध हैं) के विज्ञापन की स्वतंत्रता नहीं है।
- **प्रेस की स्वतंत्रता (Freedom of Press) :** भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिये वैसे विशिष्ट नहीं किये गए हैं, जैसे अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों में हैं। भारतीय प्रेस या मीडिया को अनुच्छेद-19(1)(क) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही 'प्रेस की स्वतंत्रत' प्राप्त है।
- **अनुच्छेद-19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन के आधार (Article-19(2) The Basis of Restrictions on the Right to Freedom) :** अनुच्छेद-19(2) में वे सभी आधार गए हैं जो अनुच्छेद-19(1)(क) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable restrictions) आरोपित करते हैं। ये सभी आधार निम्नलिखित हैं–
- **राज्य की सुरक्षा (Security of State) :** इसका अर्थ ऐसी अभिव्यक्तियों को रोकने से है जो आंतरिक अपराधों को भड़काती हैं।
- **विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (Friendly Relations with Foreign States) :** यह आधार मूल संविधान में नहीं था। इसे 'प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951' द्वारा अनुच्छेद-19(2) में जोड़ा गया था। इस प्रावधान का उद्देश्य यह था कि कोई व्यक्ति किसी देश में संबंध में ऐसी झूठी अफवाहें न फैला सके, जो उस देश के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुँचा सकती हों।
- **लोक व्यवस्था (Public Order) :** इसे भी 'प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951' द्वारा जोड़ा गया था। इसमें निहित है कि यदि कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिये करता है तो राज्य उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित कर सकता है।
- **शिष्टाचार या सदाचार (Decency of Morality) :** इसके अंतर्गत राज्य ऐसी अभिव्यक्तियों पर रोक लगा सकता है जो अश्लील (Obscence of indecent) प्रकृति की है।
- **न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) :** न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत दीवानी (Civil) और आपराधिक (Criminal) दोनों प्रकार की अवमाननाएँ शामिल हैं। दीवानी या सिविल अवमानना का अर्थ है– न्यायालय के आदेश या निर्देश की जन-बूझकर अवहेलना करना; जबकि आपराधिक या क्रिमिनल अवमानना का अर्थ है– न्यायालय या न्यायाधीशों की निंदा करना, उन पर पक्षपात जैसा आरोप लगाना या न्यायालय के कार्यों को विरुद्ध करना।
- **अनुच्छेद-19(1)(ख) और 19(3) : शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार (Article-19(1)(b) and 19(3) : Right to Assemble Peaceably and Without Arms) :** अनुच्छेद-19(1)(ख) भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक (Peaceably) तथा बिना हथियार के (Without arms) सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सम्मेलन के अधिकार में सभा आयोजित करना, प्रदर्शन करना और जुलूस (Procession) निकालना शामिल हैं। चूँकि, जुलूस एक 'चलती हुई सभा' ही होता है, इसलिये उसके लिये अलग से प्राधान करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। लोकतंत्र की दृष्टि से यह अधिकार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति (Dissent) व्यक्त करने का अधिकार बेहद आवश्यक होता है।
- **अनुच्छेद-19(1)(ग) तथा 19(4) : संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार (Article-19(1)(c) & 19(4) : Right to form Associations, Unions or Co-operative Societies) :** अनुच्छेद-19(1)(ग) के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को संगम, संघ या सहकारी समिति (Assocations, unions or Co-operative Unions) बनाने की स्वतंत्रता दी गई है तथा अनुच्छेद-19(4) के अंतर्गत बताया गया है कि इस अधिकार पर कौन-कौन से 'युक्तियुक्त निर्बंधन' (Reasonable restrictions) लागू होते हैं। ध्यातव्य है कि 'सहकारी समिति' बनाने के आधिकार '97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011' द्वारा शामिल किया गया है जबकि शेष हिस्सा संविधान में आरंभ से है।

  संगम, संघ या सहाकरी समिति बनाने के अधिकार के अंतर्गत कंपनी (Company), स्वैच्छिक संगठन (Voluntary organisation), साझेदारी फर्म, सोसाइटी, क्लब, व्यावसायिक संघ (Pofessional association), मजदूर संगठन (Trade union), राजनीति दल (Political party), दबाव समूह (Pressure group) आदि बनाने के अधिकार शामिल हैं। इस अधिकार में संगठन बनाने या न बनाने का, उसकी सदस्यता लेने या न लेने का तथा उसे चालू रखने या न रखने का अधिकार अंतर्निहित है।

  संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर तीन आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं– (क) लोक व्यवस्था, (ख) सदाचार तथा (ग) भारत की संप्रभुता और अखंडता।
- **अनुच्छेद-19(1)(घ) तथा अनुच्छेद-19(5) : भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरचरण का अधिकार (Article-19(1)(d) & 19(5) : Right to Move Freely Throughout the Territory of India) :** अनुच्छेद-19(1)(घ) भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि वह भारत के किसी भी भाग में बिना किसी बाधा के संचरण, भ्रमण या आवागमन (Movement) कर सकता है। यह अधिकार देने का उद्देश्य यही था कि विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के मध्य क्षेत्रवाद (Regionalism) की प्रवृत्ति न फैले और भारत के नागरिक देश के विभिन्न भागों में अबाध संचरण या भ्रमण

के माध्यम से देश के सभी भागों के प्रति लगाव महसूस करें। गौरतलब है कि अनुच्छेद-19(1)(घ) सिर्फ देश के भीतर संचरण या भ्रमण का अधिकार देता है, देश के बाहर नहीं। देश के बाहर संचरण या भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद-21 के तहत आता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों के अंतर्गत किया है।

- **अनुच्छेद-19(1)(ङ) और अनुच्छेद-19(5) : भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार (Article-19(1)(e) and 19(5) : Right to Reside and Settle in any part of the territory of India) :** अनुच्छेद-19(1)(ङ) भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में 'निवास करने तथा बसने' (To reside and to settle) का अधिकार प्रदान करता है और ऐसा करने के लिये उस किसी पूर्व-अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वस्तुत: अबाध संचरण (Free movement) की स्वतंत्रता तथा निवास (Residence) की स्वतंत्रता एक-दूसरे की पूरक हैं। निवास की स्वतंत्रता के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन वही हैं जो संचरण के संबंध में हैं। अनुच्छेद-19(5) में दिये गए निर्बंधन ही अनुच्छेद-19(1)(घ) तथा अनुच्छेद-19(1)(ङ) पर लागू होते हैं। तात्पर्य यह कि राज्य दो ही कारणों से निवास की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है– (क) साधारण जनता के हित में तथा (ख) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिये।
- **अनुच्छेद-19(1)(च) : संपत्ति का अधिकार (अब निरसित) (Article-19(1)(f) : Right to Property (now Omitted) :** मूल संविधान में अनुच्छेद-19(1)(च) भी विद्यमान था जिसके द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति (Property) अर्जित करने, धारित करने तथा व्यय करने का अधिकार (Right to acquire, hold and dispose of property) दिया गया था। किंतु संविधान के '44वें संशोधन अधिनियम, 1978' के माध्यम से 'संपत्ति के अधिकार' को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद-300क (Article-300A) अंत:स्थापित किया गया तथा उसमें संपत्ति के अधिकार को 'विधिक अधिकार' या 'कानूनी अधिकार' (Legal or Statutory Right) का दर्जा दिया गया।
- **अनुच्छेद-19(1)(छ) तथा 19(6) : कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार (Article-19(1)(g) and 19(6) : Right to Practice Any profession or to Carry on Any Occupation, Trade or Business) :** अनुच्छेद-19(1)(छ) भारत के हर नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें चार मिलते-जुलते शब्दों– वृत्ति (Profession), उपजीविका (Occupation), व्यापार (Trade) और कारोबार (Business) का प्रयोग इसीलिये किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका (Livelihood) चलाने के सारे रूप इसमें शामिल हो जाएँ।
  अनुच्छेद-19(6) में इस अधिकार से संबंधित युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable restrictions) बताए गए हैं जो कि संख्या में 3 हैं– (1) साधारण जनता के हित से जुड़े निर्बंधन, (2) किसी वृत्ति या व्यापार के लिये तकनीकी अर्हताएँ (Technical eligibilities) निर्धारित करना तथा (3) नागरिकों को पूर्णत: या भागत: किसी व्यापार या कारोबार से इसलिये वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार (Monopoly) या नियंत्रण करने के पक्ष में है। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि पहला निर्बंधन ही मूल संविधान में उल्लिखित था, शेष दोनों निर्बंधन 'प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951' के माध्यम से जोड़े गए थे।
  अनुच्छेद-19(1)(छ) के अंतर्गत दिये गए व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के अर्थ का स्पष्टीकरण कुछ विशेष मामलों में हुआ है, जो इस प्रकार है–
- व्यवसाय का अर्थ 'वैध व्यवसाय' (Legal profession) से है, 'अवैध व्यवसाय' (Illegal profession) से नहीं। उदाहरणार्थ शराब, गाँजा और अफीम जैसे मादक पदार्थों का व्यापार करना अनुच्छेद-19(1)(छ) के अनुसार मूल अधिकार नहीं है।
- राज्य युक्तियुक्त आधारों पर कुछ स्थानों पर व्यवसाय करने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है।
- राज्य को यह हक है कि वह विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिये तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण की अर्हता निश्चित कर सकता है। इस निर्बंधन को 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
- **अनुच्छेद-19 का निलंबन (Suspension of Article-19) :** स्वतंत्रता का अधिकार सामान्यत: निम्नलिखित स्थितियों में निलंबित हो जाता है–
- जब अनुच्छेद-352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद-358 के अनुसार अनुच्छेद-19 स्वत: निलंबित हो जाता है। आपातकाल में संसद द्वारा पारित किसी विधि या सरकार द्वारा की गई किसी कार्यवाही को अनुच्छेद-19 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यातव्य है कि 'आंतरिक अशांति' (Internal disturbance) के आधार पर अब आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है।
- अनुच्छेद-19 उन मामलों में भी लागू नहीं होता है जिनका संबंध अनुच्छेद-31(क), 31 (ख) और 31(ग) से है। अनुच्छेद-31(ग) के अनुसार यदि कोई विधि संविधान के अनुच्छेद-39(ख) या 39 (ग) में दिये गए नीति-निदेशक तत्त्वों को उपलब्ध करने के लिये बनाई जाती है तो उसे इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद-14, 19 या 31 का उल्लंघन करती है।

●●●